"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 147] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 अप्रैल 2011—चैत्र 29, शक 1933

गृह विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-74/गृह-सी/2011.—राज्य शासन एतद्द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28 (ए) में दिये गये प्रावधान तथा भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 464/INST/2007-PLN-I, दिनांक 07 जनवरी 2007 में दिये गये निर्देश अनुसार छत्तीसगढ़ लोकसभा 10-बस्तर (अ.ज.जा.) उप चुनाव-2011 हेतु पदाभिहीत समस्त पुलिस अधिकारी, ऐसे निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल, 2011 से प्रारंभ होकर ऐसे निर्वाचन के परिणामों के घोषित किये जाने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जावेंगे और तद्नुसार ऐसे पुलिस अधिकारी उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2011

क्रमांक एफ-4-74/गृह-सी/2011.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग का अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 19-04-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

Raipur, the 19th April 2011

NOTIFICATION

No. F 4-74/Home-C/2011.—In pursuance of the provision of Section 28-A of the Representation of the People Act, 1951 and in view of the directions contained in the Election Commission of India's letter No. 464/INST/2007-PLN-I, dated 7th January 2007, all Police Officers designated by the State Government for the conduct of the 10-Bastar (ST), Bye-Elections 2011 to Parliamentary Constituency shall be deemed to be on deputation to the Election Commission for the period commencing on and from 11th April, 2011 the date of notification of calling for such election and ending with the date of declaration of the result of such election and such Police Officers shall be subject to control, superintendence and discipline of the Election Commission.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. N. UPADHYAY, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.